भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3376

सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

बेरोजगारी के मुद्दे

3376. श्री जिया उर रहमान:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है और युवाओं को रोजगार पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप इंडिया' जैसी सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभाव बहुत सीमित प्रतीत हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत अब तक रोजगार के कितने अवसर सृजित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार के पास भविष्य में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई ठोस रणनीति है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या नीतियां अपनाई गई हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): रोज़गार और बेरोज़गारी पर आधिकारिक डेटा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफ़एस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा 2017-18 से आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण की अवधि हर साल जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में 17.8% से घटकर 2023-24 में 10.2% हो गई है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि को लागू कर रहे हैं जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देना चाहते हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम श्रेणी की बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 25 सितंबर, 2014 को ' मेक इन इंडिया' पहल शुरू की गई थी। यह भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और वैश्विक मंच पर इसकी औद्योगिक क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए अद्वितीय 'वोकल फॉर लोकल' पहलों में से एक है। देश में घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विदेशों में भारतीय मिशनों के माध्यम से निवेश आउटरीच किया जा रहा है। अब, 27 क्षेत्रों को शामिल करते हुए "मेक इन इंडिया 2.0" चरण का कार्यक्रम महत्वपूर्ण उपलब्धियों और नए जोश के साथ आगे बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक विनिर्माण परिदृश्य में एक प्रमुख प्रतिभागी के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है।

सरकार ने नवाचार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की थी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 30 जून 2024 तक 1,40,803 इकाईयों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है।

सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों संबंधी प्रधान मंत्री पैकेज की घोषणा की।

****